

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 24क
(नियम 85ख देखिए)

यह प्ररूप आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न दि

- राजनैतिक दल का नाम : दलतीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
- राजनैतिक दल की प्रास्थिति (मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त) : प्राधिकृत अमान्यता प्राप्त दल
- राजनैतिक दल के मुख्यालय का पता : शहीद नगर, शहीद भवन के पास, दलतीसगढ़
- निर्वाचन आयोग के पास राजनैतिक दल - 24-1-1990
रजिस्ट्रीकरण की तारीख :
- स्थायी खाता सं. (पैन) और वह आय-कर वार्ड/ सर्किल जहां राजनैतिक दल की विवरणी फाइल की जानी है : AAHAC5851H
- वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक हैं व्योरे - 2023-24

क्रम सं.	अभिदात्री व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पैन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड / सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की शीति। (चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां
	<u>निरंक</u>	<u>निरंक</u>	<u>निरंक</u>	<u>निरंक</u>	<u>निरंक</u>

* चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

मैं, देवेंद्र सिन्हा (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ पुत्री नीलम सिंह घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्ररूप में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही और पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं, ऊपर नामित राजनैतिक दल की ओर से देवेंद्र सिन्हा की अपनी हैसियत में इस प्ररूप को सत्यापित कर रहा हूँ और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूँ।

(कोषाध्यक्ष/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

तारीख : 24-1-1990
स्थान : दलतीसगढ़
महामंत्री
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
जिला-बालोद (छ.ग.)
अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
जिला-बालोद (छ.ग.)